

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 6821

दिनांक - 18.08.25

**प्रार्थीगण**  
1 नखतसिंह 2 हरीसिंह  
3 बाबूसिंह पिसरान  
पूरसिंह 4 कवरों पत्नि  
पूरसिंह जाति राजपूत  
निवासी करनपुरा,  
महाबार तहसील व  
जिला बाड़मेर।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1 सगतसिंह 2 कौशलसिंह 3 मलसिंह 4 जोगराजसिंह  
पिसरान हेमसिंह 5 मेवसिंह पिसरान मोहनसिंह 6  
टीलसिंह 7 सुरतानसिंह पिसरान जबरसिंह 8  
आसूसिंह पुत्र खीमसिंह 9 लेहरोंकंवर पत्नि हीरसिंह  
10 अखसिंह पुत्र पूनमसिंह 11 हरीसिंह 12 होथीसिंह  
13 धर्मसिंह 14 कमलसिंह पिसरान गेमरसिंह जाति  
राजपूत निवासी करनपुरा महाबार तहसील व जिला  
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 326/2025

दिनांक- 07/08/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा करनपुरा पटवार हल्का महाबार तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2375/266 रकबा 3.1970 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2376/266 रकबा 2.2258 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2381/295 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2382/295 रकबा 10.0890 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2388/354 रकबा 1.0603 हैक्टेयर, खसरा संख्या 264 रकबा 0.0243 हैक्टेयर व खसरा संख्या 265 रकबा 0.0567 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- 18.08.25 बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6822-25  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी नखतसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा, महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण सगतसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी करनपुरा महाबार तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी  
बाड़मेर